ईरान-यूएई तनाव से तेल की कीमतों में उछाल

ब्रेंट क्रूड 114 डॉलर, डब्लूटीआई 106 डॉलर पर

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर हमले, तेल बाजार में भारी हलचल

नई दिल्ली,05 मई. ईरान और यूएई के बीच सैन्य तनाव के चलते अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में मंगलवार को तेज़ी देखी गई.ब्रेंट क्रूड 6.27 डॉलर या 5.8 प्रतिशत की बढ़त के साथ 114.44 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुआ, जबकि अमेरिकी डब्लूटीआई क्रूड 4.48 डॉलर या 4.4 प्रतिशत, की तेजी के साथ 106.42 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया.

इस उछाल की मुख्य वजह ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में कई जहाजों को निशाना बनाना और यूएई के प्रमुख तेल बंदरगाह पर आग लगाना रही.इस हमले से खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ गया और वैश्विक तेल आपूर्ति को लेकर चिंता गहरी हो गई.

हमले में यूएई , दक्षिण कोरिया और अन्य देशों के जहाज भी प्रभावित हुए.अमेरिकी नौसेना ने हस्तक्षेप कर मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोकने की कोशिश की. विशेषज्ञों का मानना है कि इस संकट ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों को अस्थिर कर दिया है.

अगर तनाव और बढ़ता है तो तेल की कीमतें और तेजी से बढ़ सकती हैं.ओपीईसी ने आपूर्ति को बनाए रखने के लिए उत्पादन बढ़ाने की योजना बनाई है.यूएई ने भी स्पष्ट किया है कि वह वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए तैयार है.

> हालांकि अप्रैल की शुरुआत में अमेरिका और ईरान के बीच घोषित युद्धविराम के बाद यह अब तक की सबसे गंभीर सैन्य तनाव वृद्धि है .इससे निवेशकों में सतर्कता बढ़ गई है और वैश्विक बाजार में अचानक उतार-चढ़ाव की संभावना बनी हुई है .

रुपया पहली बार 95 प्रति डॉलर से नीचे बंद

मुंबई, 05 मई. अंतरबैंकिंग मुद्रा बाजार में सोमवार को 39 पैसे टूट गया और कारोबार की समाप्ति पर एक डॉलर 95.23 रुपये का बोला गया.

रुपया पहली बार 95 प्रति डॉलर के नीचे बंद हुआ है.हालांकि बीच कारोबार में इसका अबतक का निचला स्तर 95.3450 रुपये प्रति डॉलर है जो 30 अप्रैल को दर्ज किया गया था।पिछले कारोबारी दिवस पर भारतीय मुद्रा चार पैसे की मजबूती के साथ 94.84 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुई थी. रुपये पर आज शुरू से ही दबाव रहा.यह 11 पैसे गिरकर 94.95 रुपये प्रति डॉलर पर खुला.सुबह के कारोबार में यह 94.80 रुपये प्रति डॉलर तक मजबूत भी हुआ, लेकिन इसके बाद लगातार टूटता हुआ 95.2550 रुपये प्रति डॉलर तक उतर गया.

केंद्र सरकार का कर संग्रह 23,40,406 करोड़

नई दिल्ली, 05 मई. वित्त वर्ष 2025-26 में केंद्र सरकार शुद्ध कर संग्रह के अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकी और यह संशोधित बजट अनुमान से 12.5 प्रतिशत कम रहा।वित्त मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, इस साल 31 मार्च को समाप्त वित्त वर्ष में 23,40,406 करोड़ रुपये का शुद्ध कर संग्रह हुआ जो एक साल पहले के मुकाबले 5.12 प्रतिशत अधिक है.

हालांकि यह 26,74,661 करोड़ रुपये के संशोधित बजट अनुमान से 12.5 प्रतिशत कम है।सरकार ने बजट में 28,37,409 करोड़ रुपये के शुद्ध कर संग्रह का अनुमान व्यक्त किया था जिसे बाद में संशोधित कर 26.74 करोड़ रुपये किया गया था।वित्त वर्ष 2025-26 में केंद्र का सकल कर संग्रह 28,11,936 करोड़ रुपये रहा.यह एक साल पहले के 27,03,107 करोड़ रुपये की तुलना में 4.03 प्रतिशत अधिक है.इस दौरान रिफंड में 1.09 करोड़ रुपये की गिरावट दर्ज की गयी और यह एक साल पहले के 4,76,732 करोड़ रुपये की तुलना में 4,71,531 करोड़ रुपये रह गया.

गैर-कॉर्पोरेट कर संग्रह 11,82,972 करोड़ रुपये से बढ़कर 11,83,405 करोड़ रुपये पर और कॉर्पोरेशन कर के रूप में प्राप्त शुद्ध राजस्व 9,86,767 करोड़ रुपये से बढ़कर 10,83,405 करोड़ रुपये पर पहुंच गया.प्रतिभूतियों के लेनदेन पर वसूला गया कर 53,296 करोड़ रुपये की तुलना में 57,522 करोड़ रुपये हो गया.

अन्य मदों से प्राप्त कर संग्रह में गिरावट आयी है और यह 3,341 करोड़ रुपये से घटकर 312 करोड़ रुपये रह गया.

दयाल सिंह कॉलेज अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन

नयी दिल्ली , 05 मई दिल्ली के दयाल सिंह कॉलेज में 'भारतीय भाषाओं में साहित्य सृजन : चुनौतियां और संभावनाएं' विषय पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया. इस सेमिनार में देश-विदेश से अलग-अलग भाषाओं से जुड़े विद्वानों वक्ताओं ने हिस्सा लिया. यह सेमिनार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से हुआ.

सबसे पहले उद्घाटन सत्र में खास मेहमान के तौर पर प्रो. ए.डी.एन. वाजपेयी, वाइस चांसलर, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, झारखंड ने श्रोताओं को संबोधित किया. उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि हमें अपनी भाषाओं के प्रचार-प्रसार के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा की ओर रुख करना होगा. दयाल सिंह कॉलेज के प्रिंसिपल प्रो. विनोद कुमार पालीवाल ने भी अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की. इसके साथ ही, भारतीय भाषा समिति के संयोजक डॉ. कमल जीत सिंह ने संगोष्ठी में मौजूद सभी श्रोताओं का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि संयोजक के तौर पर हम भारतीय भाषाओं के लिए समर्पित है और हमारा एक मूल मकसद इन भाषाओं में रचित साहित्य का आपस में आदान-प्रदान करना है.

इसके साथ ही मुख्य वक्ता के रूप में डॉ. गट्टू लाल पाटीदार ने अपना वक्तव्य दिया. उन्होंने सेमिनार के विषय को समझाने का प्रयास किया. उद्घाटन सत्र में डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार ने धन्यवाद ज्ञापन दिया. इस सत्र में मंच संचालन डॉ. शिवरजनी सिंह द्वारा किया गया. अगले सत्र में डॉ. धर्मवीर सिंह, अध्यक्ष, उर्दू विभाग, इग्नू विशेष अतिथि रूप में शामिल हुए. डॉ. मोनिका शर्मा ने इस सत्र की अध्यक्षता की तथा डॉ. मलिकियत सिंह, सेंटल यूनिवर्सिटी हिमाचल, धर्मशाला और डॉ. काकोली राय, दयाल सिंह कॉलेज ने अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए.

बैंक ऋण वृद्धि 15 .9 प्रतिशत मजबूत

नयी दिल्ली , 05 मई देश में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ओर से विभिन्न क्षेत्रों को दिये जाने वाले ऋण कारोबार में वित्त वर्ष 2025-26 में 15.9 प्रतिशत की मजबूत ऋण वृद्धि दर्ज की गयी जो मजबूत आर्थिक गतिविधि और ऋण मांग को दर्शाती है. वित्त मंत्रालय की मंगलवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में ऋण वृद्धि वित्त वर्ष 2025-26 में बढ़कर 15.7 प्रतिशत रही, जो इससे पिछले वर्ष के 10.4 प्रतिशत से अधिक है. यह मजबूत ग्रामीण मांग और बेहतर ऋण प्रवाह को दर्शाता है.औद्योगिक क्षेत्र में ऋण वृद्धि बढ़कर 15 प्रतिशत हो गई, जो पिछले वर्ष 8.2 प्रतिशत थी. विज्ञप्ति के अनुसार इसमें सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम क्षेत्र को दिये जाने वाले कर्ज में मजबूत वृद्धि का बड़ा योगदान है.

एनएसई ने लॉन्च किया इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट

नई दिल्ली, 05 मई. भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज ने 4 मई 2026 से इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट लॉन्च किया, जो भारत के गोल्ड मार्केट को आधुनिक, पारदर्शी और संगठित बनाने की दिशा में बड़ा कदम है.

यह डिजिटल प्रणाली फिजिकल गोल्ड और फाइनेंशियल मार्केट के बीच की दूरी को कम करेगी. ईजीआर एक डिजिटल सिक्योरिटी है, जो असली सोने के मालिकाना हक को दर्शाती है. यह सेबी मान्यता प्राप्त वॉल्ट्स में सुरक्षित रखा जाता है और निवेशक इसे डिमैट फॉर्म में होल्ड कर सकते हैं.एनएसई के अनुसार, ईजीआर से गोल्ड ट्रेडिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी, कीमतों की सही खोज होगी और निवेशकों का भरोसा मजबूत होगा. लॉन्च के मौके पर एनएसई ने 1000 ग्राम के सोने के बार को डिजिटल रूप में बदलकर ईजीआर में कन्वर्ट किया.

चावल चीनी महंगे, गेहूं नरम

नयी दिल्ली, 05 मई. घरेलू थोक जिंस बाजारों में मंगलवार को चावल का औसत भाव बढ़ गया. चावल के साथ चीनी में भी तेजी देखी गयी जबकि में गिरावट रही. दालों और खाद्य तेलों में घट-बढ़ रही. औसत दर्जे के चावल की औसत कीमत 30 रुपये बढ़कर 3,860 रुपये प्रति क्विंटल रह गयी. गेहूं छह रुपये सस्ता हुआ और 2,775 रुपये प्रति क्विंटल बोला गया. आटे की कीमत भी छह रुपये घट गयी. दाल-दलहनों में उतार-चढ़ाव रहा. मसूर दाल औसतन 38 रुपये प्रति क्विंटल महंगी हुई. उड़द दाल की कीमत 24 रुपये और मूंग दाल की 17 रुपये बढ़ गयी. तुअर दाल में 23 रुपये और चना दाल में सात रुपये प्रति क्विंटल की नरमी देखी गयी. मलेशिया के बुरसा मलेशिया डेरिवेटिव एक्सचेंज में पाम ऑयल का जुलाई वायदा 88 रिंगिट चढ़कर 4,710 रिंगिट प्रति टन पर पहुंच गया.

वाहनों की खुदरा बिक्री अप्रैल में 13% बढ़ी

देश में कुल 26,11,317 वाहन बिके

नई दिल्ली, 05 मई. घरेलू बाजार में वाहनों की मांग में पिछले कुछ समय से जारी तेजी वित्त वर्ष 2026-27 में भी बरकरार रही और अप्रैल में वाहनों की खुदरा बिक्री करीब 13 प्रतिशत सालाना बढ़कर 26.11 लाख के पार पहुंच गयी.

वाहन डीलरों के शीर्ष संगठन फाडा द्वारा मंगलवार को जारी आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष के पहले महीने में देश में कुल 26,11,317 वाहन बिके. यह आंकड़ा इस साल मार्च की तुलना में 3.01 प्रतिशत कम है जबकि पिछले साल अप्रैल के मुकाबले 12.94 प्रतिशत अधिक है.फाडा के उपाध्यक्ष साई गिरिधर ने बताया कि छह में से पांच वाहन श्रेणियों में अप्रैल महीने का नया रिकॉर्ड बना है. इससे स्पष्ट होता है कि वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी छमाही में संरचनात्मक मांग में तेजी आयी थी, वह नये वित्त वर्ष में भी जारी है.

रिपोर्ट के मुताबिक, यात्री वाहनों की बिक्री सालाना आधार पर 12.21 प्रतिशत बढ़कर 4,07,355 इकाई पर पहुंच गयी. दुपहिया की बिक्री में 13.01 प्रतिशत का इजाफा हुआ है और यह 19,16,258 इकाई दर्ज की गयी.

प्रथम पेज का शेष

मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड लेंगे सीएम

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य शासन द्वारा प्रदेश के विभिन्न निगम/मंडलों में अशासकीय नियुक्तियां एवं नामांकन किए गए हैं. अपने-अपने विभाग में मंत्रीगण इन सभी का मार्गदर्शन एवं उन्मुखीकरण करें. राज्य स्तर पर भी इन सभी का एक दिवसीय उन्मुखीकरण आयोजित किया जाए. यहां बता दें कि इससे पहले बीते दिसंबर में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दो वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर मंत्रियों से रिपोर्ट कार्ड लिया था, अब सरकार को लगभग ढाई वर्ष हो रहे हैं. यानी आधा कार्यकाल निकल गया है. ऐसे में अब राजनीतिक नियुक्तियों के बाद मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर लंबे समय से चल रही अटकलों पर विराम लगने के आसार बन रहे हैं. मंत्रिमंडल में इस समय सीएम सहित कुल 31 सदस्य हैं. 4 को अभी और शामिल किया जा सकता है. मिले संकेतों के मुताबिक ये मंत्रिमंडल विस्तार के बजाय फेरबदल हो सकता है. यानी कमजोर परफॉर्मेंस वाले मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है. ऐसे में 8 से10 मई तक की अवधि के लिए जो कार्यक्रम तय किया गया है, उसका महत्व बढ़ गया है.

निकाय पीपीपी मोड पर सोलर पॉवर प्लांट लगा सकेंगे

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि खरगोन के जलूद में मेगा सोलर पॉवर प्लांट का लोकार्पण किया गया है. पीपीपी मोड पर 271 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित 60 मेगावाट क्षमता का यह पावर प्लांट नगर निगम इंदौर द्वारा ग्रीन बॉन्ड स्कीम के तहत लगाया गया है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि जन भागीदारी से संचालित इस योजना में एक-एक लाख रुपए तक के 10 बॉन्ड तक लेने की अनुमति थी. इस पर वार्षिक 8.27 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाएगा. परियोजना की लागत 8 साल में प्राप्त हो जाएगी, यह परियोजना 20 साल तक कार्यरत रहेगी. इससे लगभग 35 से 60 करोड़ रुपए तक की बचत नगर निगम इंदौर को होगी. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रीगण को अपने-अपने प्रभार के जिलों में नगरीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं के माध्यम से सौर ऊर्जा आधारित इस प्रकार की परियोजनाओं की स्थापना और संचालन को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में वैदिक घड़ी का अवलोकन किया. सीएम ने मंत्रियों को बताया कि प्रदेश में श्रम स्टार रेटिंग की अनूठी पहल शुरू की गई है. इसमें औद्योगिक संस्थाओं द्वारा श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने का कार्य किया जा रहा है. श्रेष्ठ कार्य के लिए प्रतिष्ठानों को श्रम स्टार रेटिंग के माध्यम से आंकलन कर प्रोत्साहित किया जाएगा.

pnb punjab national bank ...the name you can BANK upon!

स्ट्रेस्ड एसेट मैनेजमेंट ब्रांच, मुंबई
पीएनबी प्रगति टॉवर, प्रथम तल, प्लॉट नंबर सी-9, जी-ब्लॉक, बांद्राकुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400051, ईमेलः zs8356@pnb.co.in

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री नोटिस

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना सुरक्षा हित अधिनियम के नियम 8 (6) एवं 9 (1) के प्रावधानों के साथ पढ़ा जाए

आम जनता और विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी/बंधक है और जिसका प्रतीकात्मक कब्जा बैंक/सुरक्षित लेनदार के अधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, उसे नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित तिथि को "जैसा है, जहां है", "जैसा है, जो है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर बेचा जाएगा, ताकि संबंधित उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) से बैंक/सुरक्षित लेनदार को देय राशि की वसूली की जा सके। आरक्षित मूल्य और बयाना राशि संबंधित संपत्तियों के लिए नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित होगी।

सुरक्षित परिसंपत्तियों की अनुसूची

	शाखा का नाम / खाते का नाम / उधारकर्ता/गारंटर के खाते का नाम और पता	बंधक अचल संपत्तियों का विवरण / मालिक का नाम (संपत्ति (ओं) के बंधककर्ता)	ए) सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस की तिथि, बी) 31.12.2024 तक बकाया राशि, सी) सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जे की तिथि, डी) कब्जे की प्रकृति प्रतीकात्मक/ भौतिक/रचनात्मक	ए) आरक्षित मूल्य / बी) ईएमडी / सी) बोली वृद्धि राशि	ई-नीलामी की तिथि /समय	सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात भार का विवरण
1.	SAMB मुंबई **1. मैसर्स हेल्थ ब्रिज एग्रो प्राइवेट लिमिटेड (तत्कालीन मैसर्स जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड)** ई-4/108, ग्राउंड फ्लोर, अरेरा बिट्टन मार्केट चौराहे के सामने कॉलोनी एवं बघीरा अपार्टमेंट भोपाल, मध्य प्रदेश 462 016 **2. मैसर्स हेल्थ ब्रिज एग्रो प्राइवेट लिमिटेड (तत्कालीन मैसर्स जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड)** प्लॉट नंबर 279/3/1, 279/3/2, 279/3/3,279/3/4, ग्राम-पिपलिया मीरा, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश 466 001 **3. श्री किशन मोदी पुत्र श्री राजेंद्र प्रसाद मोदी निवासी मोदी** भवन एच. क्रमांक 256, बी सेक्टर, शाहपुरा भोपाल 462 016 **4. श्री किशन मोदी पुत्र श्री राजेंद्र प्रसाद मोदी** हाउस नंबर 60, गुलाब विहार कॉलोनी, पारस गुलाब वाटिका, सीहोर, (म.प्र.) 466001 5. **श्री किशन मोदी पुत्र श्री राजेंद्र प्रसाद मोदी** निवासी मकान नंबर 65, पारस गुलाब वाटिका, तहसील-सीहोर, जिला - सीहोर म.प्र. **6. श्रीमती. पायल मोदी पत्नी श्री किशन मोदी,** निवासी मोदी भवन, मकान नं. 256, बी सेक्टर, शाहपुरा भोपाल 462 016 **7. श्रीमती. पायल मोदी पत्नी श्री किशन मोदी,** निवासी मोदी भवन, निवासी हाउस नंबर 60, गुलाब विहार कॉलोनी, पारस गुलाब वाटिका, सीहोर, (म.प्र.)-466001 **8. श्रीमती. पायल मोदी पत्नी श्री किशन मोदी,** निवासी मोदी भवन, निवासी हाउस क्रमांक 65, पारस गुलाब वाटिका, तहसीलसीहोर, जिला-सीहोर म.प्र. **9. श्री राजेंद्र प्रसाद मोदी पुत्र श्री रमेशचंद्र मोदी** निवासी गजाधर पलिया वाली गली, गणेशपुर, मुरैना म.प्र.476 001 **10. श्री राजेंद्र प्रसाद मोदी पुत्र श्री रमेशचंद्र मोदी** निवासी मोदी भवन एच नं. 256, बी सेक्टर, शाहपुरा भोपाल 462016 11. **मैसर्स हेल्थ ब्रिज एग्रो प्राइवेट लिमिटेड (तत्कालीन मैसर्स जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड)** मोदी भवन मकान नं.256, बी - शाहपुरा, भोपाल 462016	श्री गोल्डन सिटी के डुप्लेक्स मकान संख्या 8 का वह भाग, जो खसरा संख्या 94/1/2/1, 94/1/2/2, 94/1/2/3, 94/1/2/4, 94/1/2/5, 94/1 / 2/6, 94/3/1, 95/3, 67/6/2, 92/1 और 92/2 का हिस्सा है, और जो यहाँ स्थित हैः गाँव - जटखेड़ी, भाभा संस्थान के पास, वार्ड सं. - 53, तहसील - हुजूर, जिला - भोपाल, मध्य प्रदेश, क्षेत्रफलः 320.07 वर्ग मीटर। या 3444 वर्ग फुट (भूतल निर्माण क्षेत्र 185.87 वर्ग मीटर और प्रथम तल का क्षेत्रफल 92.93 वर्ग मीटर) **मालिकः श्री किशन मोदी**	ए. 15.10.2025 बी. 42,51,38,955.99, साथ में 30.09.2025 तक का ब्याज/शुल्क, या वसूली घटाकर सी) 05.02.2026 डी) प्रतीकात्मक कब्जा	ए) 2,74,77,000.00 बी) 27,47,700.00 सी) 50,000.00	16.06.2026 सुबह 11:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक	ज्ञात नहीं
		संपत्ति का वह भाग जिसमें शामिल हैः पारस गुलाब वाटिका के प्लॉट नंबर 77 पर निर्मित आवासीय डुप्लेक्स मकान, राजस्व सर्वेक्षण संख्या 845/3/ 2, 847/1, 848/1, 849, 850/1, 851/1/1, 851/1/2/2 का हिस्सा गाँव कसबा, वार्ड संख्या 29, पटवारी हल्का संख्या 37, तहसील और जिला – सीहोर (मध्य प्रदेश), क्षेत्रफलः –प्लॉट का क्षेत्रफल – 1100 वर्ग फुट या 102.17 वर्ग मीटर (निर्मित ग्राउंड फ्लोर का क्षेत्रफल – 950 वर्ग फुट या 88.28 वर्ग मीटर और प्रथम फ्लोर का क्षेत्रफल – 900 वर्ग फुट या 83.643 वर्ग मीटर) **मालिकः श्री किशन मोदी**		ए) 42,61,500.00 बी) 4,26,150.00 सी) 50,000.00		ज्ञात नहीं
		संपत्ति का वह भाग जिसमें शामिल हैः पारस गुलाब वाटिका के प्लॉट नंबर 78 पर निर्मित आवासीय डुप्लेक्स मकान, राजस्व सर्वेक्षण संख्या - 845/3/2, 847/1/, 848/1, 849, 850/1, 851/1/1, 851/1/ 2/2 का हिस्सा,ग्राम कस्बा, वार्ड संख्या 29, पटवारी हल्का संख्या 37, तहसील और जिला – सीहोर (मध्य प्रदेश), प्लॉट का क्षेत्रफल – 1100 वर्ग फुट या 102.17 वर्ग मीटर (निर्मित) भूतल का क्षेत्रफल –950 वर्ग फुट या 88.28 वर्ग मीटर औरप्रथम मंजिल का क्षेत्रफल – 900 वर्ग फुट या 83.643 वर्ग मीटर **मालिकः श्री किशन मोदी**		ए) 42,61,500.00 बी) 4,26,150.00 सी) 50,000.00		ज्ञात नहीं
		संपत्ति का वह भाग जिसमें शामिल हैः पार्स गुलाब वाटिका के प्लॉट न. 79 पर निर्मित आवासीय डुप्लेक्स मकान, राजस्व सर्वेक्षण सं.- 845/ 3/2, 847/1, 848/1, 849, 850/1, 851/1/1, 851/1/2/2 का हिस्सा ग्राम कस्बा, वार्ड सं.29, पटवारी हल्का सं.37, तहसील और जिला - सीहोर (मध्य प्रदेश), जिसका क्षेत्रफल हैः - प्लॉट का क्षेत्रफल - 1100 वर्ग फुट या 102.17 वर्ग मीटर (निर्मित भूतल का क्षेत्रफल - 950 वर्ग फुट या 88.28 वर्ग मीटर और प्रथम मंजिल का क्षेत्रफल - 900 वर्ग फुट या 83.643 वर्ग मीटर) **मालिकः श्रीमती पायल मोदी**		ए) 42,61,500.00 बी) 4,26,150.00 सी) 50,000.00		ज्ञात नहीं
		संपत्ति का वह भाग जिसमें शामिल हैः आवासीय प्लॉट संख्या C-29, "क्रेसेंट रेजिडेंसी", राजस्व सर्वेक्षण संख्या 13/5, 13/6, 38/3, 38/1/4 का भाग, ग्राम सारंगखेड़ी, पी.एच. संख्या 48, आर.एन.एम. संख्या 04, तहसील - सीहोर, जिला - सीहोर (मध्य प्रदेश) में स्थित। क्षेत्रफल 1436.132 वर्ग फुट या 133.47 वर्ग मीटर। **मालिकः श्री किशन मोदी**		ए) 54,29,520.00 बी) 5,42,952.00 सी) 50,000.00		ज्ञात नहीं
		संपत्ति का वह भाग जिसमें शामिल हैः आवासीय प्लॉट संख्या C-52, "क्रेसेंट रेजिडेंसी", राजस्व सर्वेक्षण संख्या 13/5, 13/6, 38/3, 38/1/4 का भाग, ग्राम सारंगखेड़ी, पी.एच. संख्या 48, आर.एन.एम. संख्या 04, तहसील - सीहोर, जिला - सीहोर (मध्य प्रदेश), क्षेत्रफलः - 1436.132 वर्ग फुट या 133.47 वर्ग मीटर। **मालिकः श्री किशन मोदी**		ए) 54,29,800.00 बी) 5,42,980.00 सी) 50,000.00		ज्ञात नहीं

ई-नीलामी बिक्री के नियम और शर्तें

1. बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 में निर्धारित नियमों और शर्तों तथा निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अधीन होगीः नीलामी बिक्री ई-नीलामी पोर्टल ँ३३स्र२:/ुल्ल'ल्ली३ृङ्के के माध्यम से "ऑनलाइन" होगी।
2. इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों से अनुरोध है कि वे अपने ईमेल-आईडी और मोबाइल नंबर का उपयोग करके पोर्टल (https://baanknet.com) पर पंजीकरण करें। ई-केवाईसी (e-KYC) की प्रक्रिया डिजीलॉकर (Digi-locker) के माध्यम से की जानी है। एक बार ई-केवाईसी हो जाने के बाद, इच्छुक बोलीदाता पोर्टल पर ई-नीलामी की तारीख और समय से पहले ऑनलाइन/चालान मोड का उपयोग करके ईएमडी (EMD) राशि अपने ई-वॉलेट में स्थानांतरित कर सकते हैं। पंजीकरण, ई-केवाईसी का सत्यापन, वॉलेट में ईएमडी का हस्तांतरण और संपत्ति के साथ वॉलेट राशि को जोड़ना नीलामी से पहले, काफी समय रहते पूरा किया जाना चाहिए।
3. बयाना जमा राशि (EMD) जैसा कि ऊपर बताया गया है, ऑनलाइन/चालान मोड के माध्यम से भुगतान किया जाएगा और बोलीदाताओं के ई-वॉलेट में जमा किया जाएगा। जो बोलीदाता आवश्यक ईएमडी ऑनलाइन जमा नहीं करेंगे, उन्हें ई-नीलामी में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जमा की गई बयाना राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
4. ई-नीलामी के लिए प्लेटफॉर्म (https://baanknet.com) ई-नीलामी सेवा प्रदाता मेसर्स पीएसबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेड (M/s.PSB Alliance Pvt. Ltd.) द्वारा प्रदान किया जाएगा, जिसका पंजीकृत कार्यालय यूनिट 1, तीसरी मंजिल, शक्कर कमर्शियल टॉवर, वडाला ट्रक टर्मिनल के पास, वडाला ईस्ट, मुंबई-400037 (हेल्पडेस्क नंबर +91 8211220220, ईमेल आईडीः support.ebkray@psballiance.com) में है। इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों को सेवा प्रदाता की वेबसाइट https://baanknet.com पर ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेना आवश्यक है। सेवा प्रदाता पोर्टल पर ई-नीलामी के संबंध में ऑनलाइन प्रदर्शन/प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा।
5. बिक्री सूचना, जिसमें बिक्री के सामान्य नियम और शर्तें शामिल हैं, निम्नलिखित वेबसाइटों/वेब पेज पोर्टल पर उपलब्ध/प्रकाशित हैः (1) https://baanknet.com (2) www.pnbindia.in
6. ई-नीलामी के इच्छुक प्रतिभागी बिक्री सूचना की प्रतियां, ई-नीलामी के नियम और शर्तें, ई-नीलामी से संबंधित संचालन भाग पर सहायता नियमावली (Help Manual) ई-नीलामी पोर्टल (https://baanknet.com) से निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं।
7. बोली लगाने के समय बोलीदाता के ई-वॉलेट में पर्याप्त शेष राशि (>= EMD राशि) होनी चाहिए।
8. ई-नीलामी के दौरान, बोलीदाताओं को अंतिम उद्धृत बोली से ऊपर और आपसी बोली में उच्च बोली लगाने की अनुमति दी जाएगी और बोली राशि में वृद्धि उल्लेखित वृद्धि राशि (increment amount) के अनुसार होनी चाहिए। बोलीदाताओं को क्रमिक उच्च बोली लगाने के लिए 10 मिनट का समय दिया जाएगा और यदि अंतिम उच्चतम बोली के बाद 10 मिनट की समाप्ति तक किसी भी बोलीदाता द्वारा कोई उच्च बोली नहीं लगाई जाती है, तो ई-नीलामी बंद कर दी जाएगी।
9. यह इच्छुक बोलीदाता(ओं) की जिम्मेदारी है कि वे बिक्री सूचना, ई-नीलामी के नियम और शर्तें, ई-नीलामी के संचालन भाग पर सहायता नियमावली को ठीक से पढ़ें और उनका सख्ती से पालन करें।
10. ई-नीलामी प्रक्रिया से पहले या उसके दौरान किसी भी कठिनाई या सहायता की आवश्यकता के मामले में, बोलीदाता हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता मेसर्स पीएसबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि से संपर्क कर सकते हैं। विवरण (https://baanknet.com) पर उपलब्ध हैं।
11. अधिकृत अधिकारी द्वारा ई-नीलामी को अंतिम रूप दिए जाने के बाद, केवल सफल बोलीदाता को हमारे उपरोक्त संदर्भित सेवा प्रदाता द्वारा एसएमएस/ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। (सेवा प्रदाता के पास पंजीकृत मोबाइल नंबर/ईमेल पते पर)।
12. सुरक्षित संपत्ति केवल आरक्षित मूल्य से ऊपर यानी कम से कम एक वृद्धिशील बोली (incremental bid) पर बेची जाएगी।
13. सफल बोलीदाता को बोली राशि का 25% (पच्चीस प्रतिशत) राशि (जमा की गई ईएमडी राशि को घटाकर), उसी दिन या अगले कार्य दिवस से बाद में जमा करनी होगी और शेष राशि नीलामी की तारीख से 15 दिनों के भीतर खाता नामः SUNDRY - NPA / SARFAESI / AUCTION RELATED, खाता संख्याः 83560031711118अ, IFSC: PUNB0835600, शाखाः SAMB MUMBAI, बैंकः पंजाब नेशनल बैंक के पक्ष में एनईएफटी/आरटीजीएस/ट्रांसफर के माध्यम से भुगतान करनी होगी। निर्धारित समय के भीतर उपरोक्त राशि जमा करने में विफल रहने की स्थिति में, सफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई राशि बैंक द्वारा जब्त कर ली जाएगी और अधिकृत अधिकारी को संपत्ति की नई नीलामी/बिक्री करने की स्वतंत्रता होगी और डिफॉल्टर बोलीदाता का जब्त की गई राशि और संपत्ति पर कोई दावा नहीं होगा।
14. सफल बोलीदाता द्वारा बैंक को बिक्री प्रतिफल का भुगतान आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194- 1अ के तहत टीडीएस (TDS) के अधीन होगा और टीडीएस केवल शेष 75% बोली राशि जमा करने/पूरी बोली राशि जमा करने के समय सफल बोलीदाता द्वारा जमा किया जाना है।
15. अधिकृत अधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी समय किसी भी या सभी बोलियों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने, यदि स्वीकार्य नहीं पाई जाती हैं, या नीलामी की शर्तों को स्थगित/रद्द/स्थगित/बंद करने या बदलने का अधिकार सुरक्षित है और इस संबंध में उनका निर्णय अंतिम होगा।
16. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पूरी बोली राशि जमा करने पर सफल बोलीदाता के पक्ष में बिक्री प्रमाण पत्र (Sale Certificate) जारी किया जाएगा।
17. संपत्तियां "जहाँ है जैसी है" और "जो है जैसा है" और "जो कुछ भी वहां है" के आधार पर बेची जा रही हैं।
18. इसके साथ अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित संपत्तियों का विवरण अधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है, लेकिन अधिकृत अधिकारी इस घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
19. बोली जमा करने से पहले संपत्ति और विनिदेशों के बारे में निरीक्षण करना और खुद को संतुष्ट करना बोलीदाताओं की जिम्मेदारी होगी। बोलीदाता विवरण के अनुसार संबंधित अधिकारी के परामर्श से संपत्ति का निरीक्षण कर सकता है।
20. सभी वैधानिक देय राशि/परिचारक शुल्क/अन्य देय राशि जिसमें पंजीकरण शुल्क, स्टांप शुल्क, कर आदि शामिल हैं, खरीदार द्वारा वहन किए जाएंगे जिसमें यदि कोई जीएसटी (GST) हो तो वह भी शामिल है।
21. अधिकृत अधिकारी या बैंक बैंक को ज्ञात नहीं संपत्तियों (ई-नीलामी) के संबंध में सरकार या किसी अन्य को देय किसी भी शुल्क, ग्रहणाधिकार (lien), बाधाओं या किसी अन्य बकाया के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वे संपत्ति पर वैधानिक देनदारियों, संपत्ति कर के बकाया, बिजली बकाया आदि सहित बाधाओं के संबंध में अपनी स्वतंत्र पूछताछ करें।
22. बोलीदाता को उचित इंटरनेट कनेक्टिविटी, पावर बैक-अप आदि सुनिश्चित करना चाहिए। बैंक इंटरनेट विफलता, बिजली विफलता या तकनीकी कारणों या ई-नीलामी को प्रभावित करने वाली आकस्मिकताओं के कारण किसी भी व्यवधान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
23. यह बैंक के ऊपर है कि वह एक प्रतिनिधि नियुक्त करे और स्वयं बोली लगाए और नीलामी में भाग ले।
24. सफल बोली मूल्य के ऊपर और ऊपर सरकारी करों के रूप में सभी अतिरिक्त राशि सफल बोलीदाता द्वारा वहन की जाएगी।

बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया https://baanknet.com और www.pnbindia.in देखें।

दिनांकः 04.05.2026
स्थानः मुंबई

एसडी/-
अधिकृत अधिकारी
पंजाब नेशनल बैंक सुरक्षित लेनदार की ओर से

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा 3, इंदिरा प्रेस कॉम्प्लेक्स, रामगोपाल माहेश्वरी मार्ग, महाराणा प्रताप नगर, जोन-1, भोपाल से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि., इंदिरा प्रेस कॉम्प्लेक्स से मुद्रित. संपादक दिलीप झा*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-4939198, ईमेल-bhopalnav@gmail.com RNI Reg. No. 35046/56 डाक पंजीयन क्रमांक M.P/B.P.L/711/2012-14